

प्रेषक,

अभियान कौशल  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 26/02/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका प्रक्षेत्राधीन नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 31.600 लाख (रूपये इकतीस लाख साठ हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-76/2017-18, दिनांक -08.02.2018; Online AA- 2142, Dated- 12.02.2018 महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(राशि लाख रु. में)


| क्र.  | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष                                     | लघु शीर्ष / उप शीर्ष  | विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड                                       | आवंटित राशि |
|---|--|---|--|-------------|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5           |
| 1.  | 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 101-सतही जल/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण                   | 05-निर्माण / 45- निर्माण कार्य<br>विपत्र कोड- 50S470200101190545 | 30.600      |
| 2.  | 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 05-निर्माण / 45- निर्माण कार्य<br>विपत्र कोड- 50S470200796190545 | 1.000       |
| कुल :-                                      |  |   |  | 31.600      |
| आवंटित राशि - रु. इकतीस लाख साठ हजार मात्र। |  |   |  |             |

- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट शीर्ष- 470200101190545 के संशोधित बजट उपबंध रूपये 6900.00 लाख (उनहत्तर करोड़) तथा बजट शीर्ष- 470200796190545 के बजट उपबंध रूपये 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अन्तर्गत है।
- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747 /वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
(अमिताभ कौशल)  
सचिव

ज्ञापांक :— 275

रॉची, दिनांक :—

26/02/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गोड्डा/जामताडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
(अमिताभ कौशल)  
सचिव

ज्ञापांक :— 275

रॉची, दिनांक :—

26/02/2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (पो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आत्म सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
(अमिताभ कौशल)  
सचिव

दिनांक २८/०१/२०२० तिथी २२५

दिनांक २८/०१/२०२०

का अनुलग्नक परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय

लघु शीर्ष-101-सतही जल,

उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

संशोधित बजट उपबंध (2019-20) - 6900.00 लाख

विपत्र कोड- 505-470200101190545

लघु सिंचाई प्रमाणित क्र.

प्रशासनिक स्वीकृति

(राशि लाख में)

| क्र.<br>प्रमाणित का<br>नाम | जिला                  | प्रखण्ड | योजना का नाम  | वर्ष 2019-20 में |                             |                | योजना पर <sup>कुल अधिन</sup><br>आवंटन<br>(10+13) | Online<br>Allotment<br>Access No. | अन्युक्ति |
|----------------------------|-----------------------|---------|---|------------------|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-----------|
|                            |                       |         |   | राशि             | प्रसंग                      | एकारित<br>राशि | मार्च<br>2019                                    |                                   |           |
| 1                          | 2                     | 3       | 4   | 5                | 6                           | 8              | 9  | 10                                | 11        |
| 1                          |                       |         | अंजना नदी पर योजना निर्माण  | 72.760           |                             | 65.280         | 57.710   | 8.000                             | 5.350     |
| 2                          | गोद्वा<br>(GDDMIR014) | गोद्वा  | महागामा<br>सेनार चक्र यम में सापेन नदी<br>पर अंटगामा विधार का निर्माण | 131.130          | 76/2017-18<br>dt 08.02.2018 | 2142           | 113.440  | 50.000                            | 10.250    |
| 3                          |                       |         | बोआरीजोर<br>मेधी नदी में बीचर निर्माण                                 | 108.150          |                             | 100.470        | 15.810   | 70.000                            | 15.000    |
|                            |                       |         | कुल :-  | 312.040          |                             | 279.190        | 137.850  | 128.000                           | 30.600    |
|                            |                       |         |   |                  |                             |                |  | 158.600                           | 296.450   |

(अधिकारी कौशल)

साचेद

दिभागीय पत्रांक ..... २७५

दिनांक ..... २६/०१/२०२०

का अनुलग्नक

परिशिष्ट-२

मुख्य शीर्ष-४७०२- लघु सिंचाई पर एँजीगत व्यय  
लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,  
उप शीर्ष-१९-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,  
विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ निर्माण कार्य,  
संशोधित बजट उपबंध (2019-20) - 14000.00 लाख

विपत्र कोड- 50S-470200796190545

| क्र. नं | लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम               | जिला प्रखण्ड      | योजना का नाम                           | प्रशासनिक स्थिकृति |                          |               | एकारित राशि | मार्च 2019 तक व्यय | वर्ष 2019-20 में |                |               | योजना पर कुल आवंटन (10+13) | Online Allotment Access No. | अन्युकृति |
|---------|---|-------------------|--|--------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
|         |   |                   |  | राशि               | प्रसंग                   | Online प्रसंग |             |                    | राशि             | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन                  |                             |           |
| 1       | लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताडा (JMTMIR022) | जामताडा नारायणपुर | नावाड़ी ह ग्राम के पास वीरर का निर्माण | 57,939             | 76/2017-18 dt 08.02.2018 | 2142          | 56,650      | 40,690             | 15,000           | 1,000          | 16,000        | 56,690                     | 87756                       |           |

राजस्थान  
(आमेताम कोशल)  
सचिव